

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)
॥ अधिसूचना ॥

संचिका संख्या –अ०सा०नि०/स्था०३–०१/२०१८ २७६ /पटना, दिनांक: ०७-०२-२०२०

भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा “बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग” में भर्ती की पद्धति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(i) यह नियमावली “बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2020” कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

२. परिमाणार्थः — इस नियमावली में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) “राज्यपाल से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल।

(ii) “राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार।

(iii) “प्रशासी विभाग” से अभिप्रेत है कि बिहार सरकार का योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)।

(iv) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

(v) “नियुक्ति पदाधिकारी” से अभिप्रेत है अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, (योजना एवं विकास विभाग) के निदेशक।

(vi) “संवर्ग” से अभिप्रेत है बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग।

(vii) “संवर्ग के सदस्य से अभिप्रेत है बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग में नियुक्त, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी(कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) पदधारक तथा सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर्मी।

(viii) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।

३. संवर्ग का गठन

(i) यह संवर्ग राज्य संवर्ग होगा जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग के अधीन होगा।

(ii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पद निम्नवत् होंगे :-

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
१.	अवर सांख्यिकी पदाधिकारी /प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी	मूल कोटि	अराजपत्रित
२.	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित

(iii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के स्वीकृत पदों की संख्या तथा वेतनमान/वेतनस्तर वही होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय। राज्य सरकार समय–समय पर इस संवर्ग के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस संवर्ग में स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन/विलोपन की स्वीकृति दे सकेगी।

(iv) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में शामिल एवं इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जायेंगे।

४. भर्ती का श्रोत

(i) इस सेवा की मूल कोटि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के स्वीकृत बल का 93 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से लिखित

१२

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे तथा शेष 07 प्रतिशत पद संकलक (Compiler) से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

- (ii) सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम और न्यूनतम अर्हता का निर्धारण राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) आयोग से प्राप्त मेधा सूची विभाग में प्राप्ति की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि तक के लिए ही वैध होगी।
- (iv) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को मूल कोटि के रिक्त पदों की गणना करेगा तथा इन रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधियाचना 30 अप्रैल तक आयोग को भेज देगा।

5. सीधी भर्ती हेतु अर्हता

- (i) उम्र सीमा- सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
- (ii) सीधी भर्ती के लिए आवश्यक होगा कि उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/गणित /सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक हो।
- (iii) अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी(कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) के पद पर संविदा पर कार्य कर चुके अभ्यार्थी के लिए अधिमानता एवं उम्र में छुट :—
अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी(कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) के पद पर संविदा पर कार्य कर चुके आवेदकों को प्रति पूर्ण वर्ष कार्य अनुभव के लिए 5 प्रतिशत (अधिकतम 25 प्रतिशत तक) अंक अधिमानता के लिए मान्य होगा। यह अधिमानता भविष्य में होने वाली आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु मान्य होगी।
- (ख) अधिकतम उम्र सीमा में संविदा के तहत समान पद पर की गयी सेवा अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दिया जायेगा।
- (ग) कार्य अनुभव की अधिमानता तथा उम्र में छूट का लाभ संविदा नियोजन के तहत समान पदों पर किये गये कार्य के लिए ही अनुमान्य होगा।

6. परीक्ष्यमान अवधि/विभागीय परीक्षा/संपुष्टि

- (i) मौलिक पद के विरुद्ध नियुक्त कर्मी को दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा (Probation) पर रखा जायेगा। परिवीक्षा की अवधि में कर्मी की सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकार संतुष्ट हो कि परिवीक्षाधीन कर्मी में, बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्तर्गत सुधार हो जायेगा। यदि वर्धित परिवीक्षा (Probation) अवधि में भी कर्मी की सेवा संतोषजनक नहीं हो तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- (ii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा Computer सक्षमता जाँच परीक्षा उर्त्तीण होने के उपरांत ही नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा संपुष्ट किया जा सकेगा।
- (iii) प्रथम प्रारंभिक वेतन वृद्धि के उपरांत परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मी को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा Computer जाँच परीक्षा उर्त्तीण किए बिना कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगा।

7. वरीयता

आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा तैयार की गई क्रमानुसार मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा।

8. प्रोन्नति

- (i) इस संवर्ग में कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि पूरी करने के बाद होगी।
- (ii) इस संवर्ग के अन्तर्गत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी की कोटि के शत-प्रतिशत पदों को वरीयता-सह-मेधा के आधार पर अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदधारकों की प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
- (iii) इस संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी।

9. आरक्षण

मूल कोटि में भर्ती तथा उच्चतर कोटियों में प्रोन्नति में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिनियमों/संकल्पों/अनुदेशों/रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

10. प्रशिक्षण

इस संवर्ग के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य से बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर किये गये मूल्यांकन को विभागीय समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा।

11. अन्य सेवा शर्त

इस संवर्ग के लिए अन्य सेवा शर्तें यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवा निवृति लाभ इत्यादि राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर लागू सुसंगत नियमों के प्रावधानों से नियंत्रित होगी।

12. निरसन एवं व्यावृति

- (i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से एतद्संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/निर्णय निरसित समझे जायेंगे।
- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे परिपत्र/निर्णय के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से


(मनीष कुमार वर्मा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- अ०सा०नि०/स्था०३-०१/२०१८ २७६/पटना, दिनांक ०७-०२-२०२०

प्रतिलिपि:- गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित अतिरिक्त प्रतियाँ, योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(मनीष कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- अ०सा०नि०/स्था०३-०१/२०१८ २७६ /पटना, दिनांक ०७-०२-२०२०

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमङ्गलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमङ्गलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/मूल्यांकन निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, सचिवालय, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१९

(मनीष कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- अ०सा०नि०/स्था०३-०१/२०१८ २७६ /पटना, दिनांक ०७-०२-२०२०

प्रतिलिपि:- सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१९

(मनीष कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- अ०सा०नि०/स्था०३-०१/२०१८ २७६ /पटना, दिनांक ०७-०२-२०२०

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

१९

(मनीष कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव

वृलेन्ड २१

२५